शहरी बस्तियों/झुग्गी-झोपड़ियों में अग्नि सुरक्षा

आग से होने वाली क्षति या नुकसान आम बात है, सामानयतः लोगों की अज्ञानता के कारण झुग्गी-बस्तियों, दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल्स एवं भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों इत्यादि में आग का खतरा काफी बढ़ जाता है। व्यवसायिक अगलगी में ज्वलनशील पदार्थों से सम्बंधित नियमों का उल्लंघन मुख्य कारण बनता है। नगरीय क्षेत्र में बहुत सारे कच्चे मकान और झुग्गी झोपडियाँ भी है और यहाँ शोर्ट सर्किट, LPG गैस सिलिंडर या किसी अन्य लापरवाही से आग लग जाने पर यह बड़े इलाके में फैल जाती है ।

समुदाय के साथ चर्चा के दौरान यह बात निकल कर सामने आयी कि आमतौर पर उन्हें अग्निकांड से निपटने (पूर्व तैयारी, आपदा का सामना और उससे उभरना) का कौशल नहीं सिखाया गया है । इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती है कि हर स्तर पर अगलगी को लेकर व्यापक क्षमतावर्धन कार्यक्रम चलाया जाए । जब आग बड़ी और बेकाबू हो जाती है तो लोगों के साथ-साथ उनके सामानों का आपातकालीन निकास आवश्यक हो जाता है। ऐसा नहीं हो पाने के कारण व्यापक रूप से जीवन क्षति भी देखने को मिलती है।

इमारत निर्माण में आमतौर पर वैकल्पिक मार्ग नही बनाए जाते है, इसी कारण अगलगी से बचाव कर पाना मुश्किल हो जाता है। आग के कारण आपदा के ज्यदातर मामलों में भवन निर्माण के डिज़ाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है| इसके अलावा मकानों में आग बुझाने के उपकरण, रेत की बोरी जैसे उपाय सामान्यत: नहीं किए गए होते है जो नुकसान को कई गुना बढ़ा देता है। राज्य में किसी भी बड़े अगलगी से निपटने के लिए बिहार अग्निशमन सेवा की टीम हमेशा तैयार रहती है जो एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्य करता है। इस कार्य के अग्निशमन दस्ता के पास दो तरह के अग्निशमन वाहन है और Hydrant की भी व्यवस्था की गयी है। परन्तु जितने Hydrant लगे है वह नगर के क्षेत्रफ़ल और जनसंख्या के अनुपात में कम है और अग्नि आपदा के संभावित क्षेत्र/वार्ड की पहचान कर वहां Hydrant लगाना जरुरी है।

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं की समीक्षोंपरांत माननीय उपाध्यक्ष के निदेश एवं माननीय सदस्यगणों के मार्गदर्शन में पटना नगर निगम के क्षेत्र में व्यवस्थित अति सवेदनशील शहरी बस्तियों/झुग्गी-झोपड़ियों में अगलगी से सुरक्षा एवं रोकथाम हेतु जन जागरूकता

कार्यक्रम वर्ष 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है| जिससे अभी तक इन शहरी बस्तियों में आवासित तक़रीबन 10000 की आबादी को लाभ मिला है | इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए ए.डी.एम. (आपदा प्रबंधन), पटना के अध्यक्षता में एक जिलास्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है | इस समिति में बिहार पुलिस के एस.पी. (कानून एवं व्यवस्था), उप नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, जिला अग्निशाम पदाधिकारी, विभिन्न तेल कंपनियों के प्रतिनिधि, कार्यपालक अभियंता (BSPHCL) सदस्य है एवं सुश्री भावना परियोजना पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस समिति में समन्वयक के रूप में है |

यह समिति पूर्व निर्धारित तिथि एवं समयानुसार चिह्नित शहरी बस्तियों में जाकर सभी महत्वपूर्ण विभाग एवं हितधारकों के साथ बस्ती में अगलगी के जोखिम एवं रोकथाम हेतु निम्नलिखित कार्य करती है :-

- **अगलगी से रोकथाम हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाना**
- **बस्तियों (झुग्गी झोपड़ी) के घरों में गैस सिलिंडर की जाँच करना**
- **तेल कंपनियों के माध्यम से सेफ्टी क्लिनिक का आयोजन किया जाना**
- **अवैध/क्षतिग्रस्त गैस सिलिंडर पाइप को बदलना**
- **अवैध गैस कनेक्शन वाले घरों में वैध गैस कनेक्शन दिया जाना**
- **अवैध गैस सिलिंडर रिफिलिंग पर रोकथाम लगाने हेतु क़ानूनी कार्यवाही किया जाना**
- **बस्तियों में खुले बिजली के तारों, बांस के पोल, ट्रांसफार्मर का निरीक्षण करना**
- **विद्युत उपभोक्ताओं के घरों का निरीक्षण किया जाना**
- **घरों में अवैध कनेक्शन की जाँच**
- **आवश्यक बिजली के पोल का अधिष्ठापन किया जाना**
- **आवश्यक एवं क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन/मरम्मत किया जाना**
- **मीटर के नए तारों को आवश्यकतानुसार बिछाया/लगाया जाना**
- **बस्तियों में आवश्यकता अनुसार फायर हायड्रेंट् लगाया जाना**
- **अग्नि सुरक्षा के लिए तैयार आपदा गीत को नगर निकायों द्वारा संचालित कूड़ा गाड़ी एवं अन्य माध्यमों से समुदाय में प्रसारित करना**
- **नुक्कड़ नाटक/पपेट शो के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना**

बस्तियों में अग्नि सुरक्षा को लेकर किए जा रहे इस कार्यक्रम के फलस्वरूप शहरी बस्तियों/झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, मजद्दोर तबके के लोगो में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता आई है एवं वो अब इसका सामना खुद कर पाने में सक्षम हो सके है | इस कार्यक्रम के तहत पटना नगर निगम के अति सवेदनशील 11 शहरी बस्तियों/झुग्गी-झोपड़ियों के समीप 11 फायर हाईड्रेन्ट लगवाने का कार्य किया जा रहा है | कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए माननीय उपाध्यक्ष के निदेशानुसार इसे राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंडो एवं नगर निकायों में करवाया जा रहा है |